

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन(म.प्र.)

दूरभाष क्र.0734.2536266, ईमेल आईडी-secdlsaujn@mp.gov.in

क्र./452/जिविसेप्रा/2024

उज्जैन, दिनांक : 30-05-24

:: संशोधित आदेश ::

म.प्र.रा.वि.से.प्रा. जबलपुर के पत्र क्र.डी/1973/111/85/पीटी-1 दि.24.06.2009, पत्र क्र.बी/2380/111/6-8/85 दि.26.05.2010 एवं पत्र क्र.ई/4760/111/58/पीटी-7 दि.18.11.2011 के पालन में जिला मुख्यालय, उज्जैन एवं पांचों तहसील मुख्यालयों- खाचरौद, नागदा, तराना, बडनगर, महिदपुर में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के आयोजन किए जाने हेतु कार्यालय आदेश क्र.257 दि.22.05.2023 द्वारा गठित की गई थी, परंतु खंडपीठ के पीठासीन अधिकारियों के स्थानांतरण/पदरिक्त हो जाने के कारण नवीन संशोधित खंडपीठ निम्नानुसार गठित की जाती है :-

खंड क्र.	पीठासीन अधिकारी का पदनाम	स्थायी लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की प्रकृति	खण्डपीठ सदस्यों के नाम
जिला मुख्यालय उज्जैन			
01	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन तथा समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित/विचाराधीन राजीनामा योग्य- समस्त सिविल, आपराधिक, क्लेम प्रकरण, अपील प्रकरण	श्री राजेश बालकृष्ण गुप्ता, अधिवक्ता
02	वरिष्ठतम विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003), उज्जैन	स्वयं के न्यायालय एवं अन्य विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) के न्यायालय में लंबित/विचाराधीन राजीनामा योग्य विद्युत अधिनियम-2003 से उत्पन्न प्रकरण (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	श्री आशुतोष पण्ड्या, अधिवक्ता
03	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन	स्वयं के न्यायालय तथा समस्त व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग एवं कनिष्ठ वर्ग) के न्यायालय में लंबित/विचाराधीन राजीनामा योग्य-समस्त सिविल, आपराधिक प्रकरण	श्री प्रेमसिंह बघेल, अधिवक्ता
तहसील विधिक सेवा समिति, खाचरौद			
4	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह-खाचरौद	स्वयं के न्यायालय में लंबित समझौता योग्य समस्त प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण/प्रीलिटिगेशन तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित मामले	श्री कैलाश खमोरिया, अधिवक्ता
5	वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, तह-खाचरौद	स्वयं के न्यायालय में तथा समस्त जेएमएफसी न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य समस्त सिविल व आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ समस्त शासकीय बैंक, निजी बैंक व अन्य दूरसंचार कंपनियों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा मान. प्रधान जिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित मामले	श्री प्रमोद देवड़ा, अधिवक्ता
तहसील विधिक सेवा समिति, नागदा			
6	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह-नागदा	स्वयं तथा समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित समझौता योग्य समस्त प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण/प्रीलिटिगेशन तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित मामले	श्री राजेंद्र चौहान, अधिवक्ता

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन(म.प्र.)

दूरभाष क्र.0734.2536266, ईमेल आईडी-secdlsaujn@mp.gov.in

7	वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, तह-नागदा	स्वयं के न्यायालय में तथा समस्त जेएमएफसी न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य समस्त सिविल व आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ समस्त शासकीय बैंक, निजी बैंक व अन्य दूरसंचार कंपनियों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा मान. प्रधान जिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित मामले	श्री राजकुमार मिमरोट, अधिवक्ता
तहसील विधिक सेवा समिति, तराना			
8	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह-तराना	स्वयं तथा समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित समझौता योग्य समस्त प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण/प्रीलिटिगेशन तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित मामले	श्री तखतसिंह सिसोदिया, अधिवक्ता
9	वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, तह-तराना	स्वयं के न्यायालय में तथा समस्त जेएमएफसी न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य समस्त सिविल व आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ समस्त शासकीय बैंक, निजी बैंक व अन्य दूरसंचार कंपनियों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा मान. प्रधान जिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित मामले	श्री मुरलीधर गामी, अधिवक्ता
तहसील विधिक सेवा समिति, महिदपुर			
10	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह-महिदपुर	स्वयं तथा समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित समझौता योग्य समस्त प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण/प्रीलिटिगेशन तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित मामले	श्री प्रेमकुमार शर्मा, अधिवक्ता
11	वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, तह-महिदपुर	स्वयं के न्यायालय में तथा समस्त जेएमएफसी न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य समस्त सिविल व आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ समस्त शासकीय बैंक, निजी बैंक व अन्य दूरसंचार कंपनियों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा मान. प्रधान जिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित मामले	श्री संदीप कुमार कसेरा, अधिवक्ता
तहसील विधिक सेवा समिति, बड़नगर			
12	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह-बड़नगर	स्वयं के न्यायालय में लंबित समझौता योग्य समस्त प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण/प्रीलिटिगेशन तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित मामले	श्री गणेश रावल, अधिवक्ता
13	वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, तह-बड़नगर	स्वयं के न्यायालय में तथा समस्त जेएमएफसी न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य समस्त सिविल व आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ समस्त शासकीय बैंक, निजी बैंक व अन्य दूरसंचार कंपनियों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा मान. प्रधान जिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित मामले	श्री अभिनव परवाल, अधिवक्ता

निर्देश :-

1. माह के अंतिम शनिवार को अवकाश रहने की स्थिति में इसके पूर्व के शनिवार को लोक अदालत आयोजित की जावेगी।
2. लोक अदालत स्कीम 1997 के अनुसार लोक अदालत होने के पश्चात अभिलेख इस बात के होते हुए भी निर्दिष्ट न्यायालय को लौटा दिये जावेंगे, चाहे मामला लोक अदालत के द्वारा निपटाया गया हो या नहीं।
3. उक्त खंडपीठ के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्य निष्पादित किया जावेगा।
4. लोक अदालत की बैठक व्यवस्था स्वयं के न्यायालय में रहेगी तथा उस न्यायालय में पदस्थ समस्त कर्मचारी इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन (म.प्र.)
दूरभाष क्र.0734.2536266, ईमेल आईडी-secdlsaujn@mp.gov.in

5. आप अपने न्यायालय में स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन कर रखे गए एवं निराकृत प्रकरणों की विषयवार जानकारी निर्धारित प्रारूप में लोक अदालत के दिन ही शाम 04:00 बजे तक कार्यालय की ईमेल आईडी secdlsaujn@mp.gov.in पर /पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन में आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
महोदय, जिविसेप्रा, उज्जैन के आदेशानुसार

(कपिल मारद्वाज)

जिला न्यायाधीश एवं सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र./452 /जिविसेप्रा/2024
प्रतिलिपि:-

उज्जैन, दिनांक : 30-5-24

1. मान. सदस्य-सचिव महोदय, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त पीठासीन अधिकारी, स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत जिला-मुख्यालय उज्जैन एवं समस्त पांचों तहसील मुख्यालय, क्रमशः खाचरौद, तराना, नागदा, महिदपुर एवं बड़नगर, जिला- उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अध्यक्ष, मंडल अभिभाषक संघ, उज्जैन एवं पांचों तहसील मुख्यालयों- खाचरौद, नागदा, तराना, बड़नगर एवं महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
महोदय, जिविसेप्रा, उज्जैन के आदेशानुसार

(कपिल मारद्वाज)

जिला न्यायाधीश एवं सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उज्जैन (म.प्र.)